वित्त विधेयक, 2010

प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2010 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए आय-कर अधिनियम का संशोधन करने के लिए हैं,—

(i) कर-स्लैबों को व्यापक बनाकर व्यष्टि करदाताओं पर कर का भार कम करने;

(ii) लघु कंपनियों के पूंजी अभिलाभ कर दायित्व को आकर्षित किए बिना सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन को अनुज्ञात करने;

(iii) ऐसी आवर्त सीमाओं, जिनके परे संपरीक्षा अनिवार्य है, में वृद्धि करके लघु करबार, उद्यमों के अनुपालन भार को कम करने;

(iv) देश के प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश का संवर्धन करने में वृद्धि करने;

(v) दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में निवेश पर कर कटौती का उपबंध करके अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए बचतों को प्रोत्साहन देने; और

(vi) स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से संबंधित उपबंधों को सरलीकृत और सुव्यवस्थित करने।

2. वित्त विधेयक, 2010, निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कर हेतु दायी आयों पर आय-कर की दरों को; ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; ''अग्रिम कर'' की संगणना के लिए दरों, ''वेतन'' से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभारित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें कर विधि के सुसंगत उपबंधों पर कार्यवाही करते समय उपदर्शित किया गया है, कर विधि के उपबंधों में परिवर्तनों को उनके प्रवर्तन में मामूली तौर पर भविष्यलक्षी करने का प्रस्ताव है।

4. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

आय-कर

आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कर के दायित्वाधीन आय की बाबत आय-कर की दर

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कर के दायित्वाधीन निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो ''अग्रिम कर'' की संगणना, ''वेतन'' से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार -

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कर के दायित्वाधीन आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगाः—

(क) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

(ख) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के ढ़ाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित हो, जिससे आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, सीमांत राहत अनुज्ञात की जाएगी।

प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में भी, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, सीमान्त राहत प्रदान की जाएगी।

(2) शिक्षा उपकर -

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' नामक अतिरिक्त अधिभार, सभी मामलों में अधिभार सहित, संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमान्त राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II. ''वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

''वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं।

(1) अधिभार-

देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित और आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ''वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान ''वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्‌भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण,ऐसे व्यक्तियों का, जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है। अल्प कालावधि के लिए विरचित निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

अ. व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नही, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) आय-कर की दरें भाग-3 के पैरा क में विनिर्दिष्ट की गई हैं, आधारिक छूट सीमाएं और आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, कर स्लैब निम्नानुसार पुनरीक्षित किए गए हैंः—

1,60,000/- रुपए तक	शून्य
1,60,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए तक	10%
5,00,001/- रुपए से 8,00,000/- रुपए तक	20%
8,00,000/- रुपए से अधिक	30%

ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ती वर्ष में किसी समय पैंसठ वर्ष की आयु से कम है,—

1,90,000/- रुपए तक	शून्य
1,90,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए तक	10%
5,00,001/- रुपए से 8,00,000/- रुपए तक	20%
8,00,000 रुपए से अधिक	30%

ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है, जो पूर्व वर्ष के दौरान में किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

2,40,000/- रुपए तक	शून्य
2,40,001/- रुपए से 5,00,000/- रुपए तक	10%
5,00,001/- रुपए से 8,00,000/- रुपए तक	20%
8,00,000 रुपए से अधिक	30%

पहली अनुसूची के भाग -3 के पैरा क के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की दशा में कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए विनिर्दिष्ट थीं। कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

इ- फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

ई- स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है, यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

उ- कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी पर दस प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को कम कर के साढ़े सात प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में अधिभार उसी दर पर और उन्हीं शर्तों के अधीन उद्‌गृहीत किया जाएगा जो निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए लागू थीं।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल आय के संबंध में आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

सभी अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115-ञख, 115-ण, 115-ध आदि भी हैं) दस प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को कम करके साढ़े सात प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, सभी मामलों में ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' नामक अधिभार, अधिभार सहित संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2]

''पूर्त प्रयोजन'' की परिभाषा

आय-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्त प्रयोजन'' को धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, ''किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना''। तथापि, ''किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना'' तब पूर्त प्रयोजन नहीं है यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृत्ति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अन्तर्वलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से होने वाली आय का उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण किसी भी प्रकृति का हो।

ऐसे संगठनों को इससे कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जो ऐसे क्रियाकलापों से विविध प्रतिफल प्राप्त करते हैं। अतः धारा 2(15) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके ''किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना'' ''पूर्त प्रयोजन'' बना रहेगा, यदि व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति में किसी क्रियाकलाप से या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने के किसी क्रियाकलाप से पूर्ववर्ष में कुल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं।

इस संशोधन को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

किसी अनिवासी को भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत समझी गई आय

धारा 9 उन दशाओं के लिए उपबन्ध करती है, जिनमें आय भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत हुई समझी जाती है।

वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा धारा 9 में क्रमशः तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, स्वामिस्व, या फीस के रूप में आय के लिए उपधारा (1) में खंड (v), (vi) और खंड (vii) के अन्तःस्थापित करके एक स्रोत नियम का उपबन्ध किया गया था। अन्य बातों के साथ, यह उपबन्ध किया गया था कि इन खंड़ों के अधीन यथा वर्णित संदायों की दशा में, आय उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन अनिवासी को भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत हुई समझी जाएगी।

स्रोत नियम प्रारंभ करने का आशय यह था कि धारा 9 में एक विधिक कल्पना का सृजन करके, ऐसे मामलों में भी जहां सेवा भारत से बाहर उपलब्ध कराई जाती है, जब तक कि उनका उपयोग भारत में किया जाता है, तकनीकी सेवओं के लिए ब्याज, स्वामिस्व और फीस पर कर लगाया जा सके। अतः स्रोत नियम से यह अभिप्रेत है कि सेवा प्रदान करने का अवस्थान सुसंगत नहीं है। संदायकर्त्ता का अवस्थान और सेवाओं को उपयोग करने का अवस्थान ऐसी सेवाओं की भारत में कराधेयता का अवधारण करेंगे।

यह वर्ष 2007 तक विधि की सुस्थापित स्थिति थी। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, इशिकावाजीमा-हरीमा हैवी इंडस्ट्रीज लि. बनाम डीआईटी (2007) [288 आईटीआर] में यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 9 में ऐसी किसी आय के भारत में कराधेय होने के लिए गृहीत कल्पना के बावजूद भी, ऐसी आय और भारत के राज्यक्षेत्र के बीच पर्याप्त राज्यक्षेत्रीय संबंध होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह और अभिनिर्धारित किया था कि ऐसा राज्यक्षेत्रीय संबंध स्थापित करने के लिए, सेवाओं को भारत में प्रदान किया जाना होगा और साथ ही उनका उपयोग भी भारत में किया जाना होगा।

यह निर्वचन इस विधायी आशय के अनुसार नहीं था कि जब तक सेवा का उपयोग भारत में किया जाता है, भारत में सेवा प्रदान करने का अवस्थान सुसंगत नहीं था। अतः स्रोत नियम के संबंध में संदेहों को दूर करने के लिए वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1 जून, 1976 से धारा 9 की उपधारा (2) के नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया था। यह स्पष्टीकरण, यह स्पष्ट करने के लिए था कि जहां धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (v), खंड (vi) और खंड (vii) के अधीन ऐसी आय भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत मानी जाती है, वहां ऐसी आय को, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या अनिवासी व्यक्ति के पास भारत में निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध है अथवा नहीं, अनिवासी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा।

तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जिंदल थर्मल पॉवर कंपनी लि. बनाम डीसीआईटी (टीडीएस) के मामले में हाल ही के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि स्पष्टीकरण, अपने वर्तमान रूप में धारा 9 के अधीन किसी अनिवासी व्यक्ति को प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत हुई समझी गई किसी आय के लिए भारत में सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा को समाप्त नहीं करता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्पष्टीकरण को सामान्य रूप से पढ़ने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इशिकावाजीमा-हरीमा हैवी इंडस्ट्रीज लि. (सुपरा) के मामले में उसके निर्णय में अधिकथित भारत में सेवाएं प्रदान करने और भारत में सेवाओं का उपयोग करने का मानदंड स्पष्टीकरण द्वारा अप्रभावित है।

पूर्वोक्त स्रोत नियम के विधायी आशय के संबंध में किसी संदेह को दूर करने के लिए विद्यमान स्पष्टीकरण को एक नए स्पष्टीकरण से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया जा सके कि किसी अनिवासी व्यक्ति की आय को धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (v) या खंड (vi) या उपखंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत आय माना जाएगा और उसे उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा, चाहे,

(क) अनिवासी व्यक्ति के पास भारत में निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो, अथवा नहीं; या

(ख) अनिवासी व्यक्ति ने सेवाओं को भारत में प्रदान किया हो अथवा नहीं।

इस संशोधन को 1 जून, 1976 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 1977-78और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

विशेष आर्थिक जोनों (एसईज़ेड) में इकाइयों की दशा में छूट प्राप्त लाभों का परिकलन

विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 द्वारा 10.2.2006 से आय-कर अधिनियम में धारा 10कक अंतःस्थापित की गई थी। वित्त (संख्यांक.2) अधिनियम, 2009 के माध्यम से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10कक (7) का संशोधन किया गया था और निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों से ''उपक्रम द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''निर्धारिती द्वारा'' शब्द रखे गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि विद्यमान सूत्र को वहां तक विभेदकारी के रूप में देखा गया था, जहां तक उन निर्धारितियों का संबंध था, जिनके पास केवल एसईजेड में अवस्थित इकाइयों वाले निर्धारितियों की तुलना में एसईजेड और घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) दोनों में बहुलक इकाइयां है। इस विषमता को दूर करने के विचार से आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (7) के उपबंधों का संशोधन किया गया था।

इस संशोधन को पूर्ववर्षों के लिए प्रभावी बनाने के लिए उपधारा (7) में परंतुक अंतःस्थापित करके यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह उपबंध किया जाए कि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 के द्वारा संशोधित उपधारा के उपबंध निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6]

धारा 12क के अधीन प्राप्त किए गए रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण

धारा 12कक पूर्त क्रियाकलापों में लगे हुए किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध करती है। धारा 12कक (3) इस समय यह उपबंध करती है कि यदि न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं पाए जाते हैं या उसके क्रियाकलाप उन उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं जिनके लिए ऐसा न्यास या संस्था स्थापित की गई थी तब धारा 12कक के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण आयुक्त द्वारा न्यास या संस्था को सुनावाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द किया जा सकता है।

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण भी शक्ति निहित है और वह रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाले प्राधिकार से उत्पन्न होती है। तथापि, कुछ मामलों में न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आयुक्त को ऐसे रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति नहीं है जो पूर्व में किसी न्यास या संस्था द्वारा धारा 12क के उपबंधों के अधीन प्राप्त किया गया था क्योंकि यह धारा 12कक में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है।

अतः धारा 12कक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त धारा 12क, जैसे वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा संशोधन के पूर्व विद्यमान थी, के अधीन प्राप्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकता है।

इस संशोधन को 1 जून, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 7]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए अधिमानी कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35 (2कख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी को अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत व्यय (जो किसी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप का व्यय नहीं है) 150 प्रतिशत की अधिमानी कटौती अनुज्ञात की जाती है।

आन्तरिक अनुसंधान में निवेश करने के लिए कारपोरेट सेक्टर को और प्रोत्साहित करने के लिए, इस अधिमानी कटौती को 150 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

आय-कर अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के विद्यमान उपबंध किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संगम को, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग में लाए जाने वाली अन्य संस्था को संदत्त किसी राशि का 125 प्रतिशत की सीमा तक कारबार आय से अधिमानी कटौती करने के लिए उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 35(2कक) के अधीन, 125 प्रतिशत की सीमा तक अधिमानी कटौती किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) या किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि के लिए भी अनुज्ञात की जाती है।

वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए ऐसे अनुमोदित अस्तित्वों में और अधिक अभिदायों को प्रोत्साहन देने के लिए, इस अधिमानी कटौती को 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 175 प्रतिशत करने के प्रस्ताव है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, ये निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 9]

समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान में लगे हुए संगमों को किए गए संदायों पर अधिमानी कटौती और ऐसे संगमों को आय की छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 35 अनुसंधान और विकास पर व्यय की बाबत कटौती के लिए उपबंध करती है। धारा 35(1)(ii) का विद्यमान उपबंध वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए गए किसी अनुदमोदित और अधिसूचित वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को संदत्त किसी राशि की 125% की सीमा तक कारबार आय से अधिमानी कटौती के लिए उपबंध करता है। धारा 35(1)(iii) यदि राशि का संदाय समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करने के लिए प्रयोग किए गए किसी अनुमोदित और अधिसूचित विश्वविद्यालय,महाविद्यालय या अन्य संस्था को किया जाता है तो समान कटौती का उपबंध करती है। धारा 80छछक ऐसे संगम, विश्वविद्यालयों को किए गए संदानों के लिए कटौतियां अनुज्ञात करती है।

धारा 10 (21) के अधीन, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम की आय की बाबत छूट प्रदान की गई है जिसे धारा 35 (1)(ii) के अधीन अनुमोदित और अधिसूचित किया गया है। ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य संस्थाएं जो धारा 35(1)(ii) के अधीन या धारा 35(1)(iii) के अधीन अनुमोदित हैं, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 10(23ग) के अधीन अपनी आय की छूट के लिए अर्हित भी हैं।

ऐसे संगम, जो समाज विज्ञान में अनुसंधान या साख्यिकीय अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। इस समय धारा 35(1)(iii) के उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ऐसे अनुसंधान संगम भी अपनी आय की बाबत छूट के लिए हकदार नहीं हैं।

धारा 35(1)(iii) का अब संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि ऐसे अनुमोदित अनुसंधान संगम को सम्मिलित किया जा सके जिसका, उसके उद्देश्यों के रूप में समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है। यह भी प्रस्ताव है कि धारा 10 (21) का संशोधन किया जाए जिससे कि ऐसे संगमों के लिए उनकी आय की बाबत छूट का भी उपबंध किया जा सके। यह छूट उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जिनके अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला कोई अनुमोदित अनुसंधान संगम अपनी आय की बाबत छूट के लिए हकदार है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, ये निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5, 9, 26, 32 और 34]

विनिर्दिष्ट कारबार के लिए निवेश सम्बद्ध कटौती

आय-कर अधिनियम के अध्याय 6क के अधीन लाभ से जुड़े कटौती के फायदे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और साथ लगे जिलों; विश्वधरोहर स्थलों को रखने वाले 22 जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के ऐसे होटलों को उपलब्ध हैं, जो अधिनियम में उल्लिखित विनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व कार्यकरण प्रारंभ कर देते हैं।

इस सेक्टर की उच्च नियोजन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि अवस्थान पर ध्यान न देते हुए आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन होटल सेक्टर को निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएं, निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन पूंजी प्रकृति के किसी संपूर्ण व्यय (भूमि, गुडविल और वित्तीय लिखत से भिन्न) के संबंध में, जिसे उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसा व्यय किया जाता है, दौरान ''विनिर्दिष्ट कारबार'' के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत किया जाता है, 100 प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाए।

वर्तमान में, ऐसे ''विनिर्दिष्ट कारबार'' से कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए शीत सुविधा श्रृंखला, भांडागारण सुविधा के कारबार की स्थापना और प्रचालन तथा क्रास कंट्री, प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और प्रचालन करने का कारबार अभिप्रेत है। अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि इसमें भारत में कहीं भी, दो सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के किसी नए होटल के निर्माण और प्रचालन के कारबार को सम्मिलित किया जाए, जो ''विनिर्दिष्ट कारबार'' के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत 1.4.2010 के पश्चात्‌ कार्यकरण प्रारंभ करते हैं।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 35कघ की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है, वहां उस या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे ''विनिर्दिष्ट कारबार'' के संबंध में शीर्ष ''ग — कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां'' के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। धारा 80क में वैसा ही संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

वितरण के लिए क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने और उसका प्रचालन करने, जिसके अंतर्गत ऐसे नेटवर्क के अभिन्न भाग के रूप में भंडारण प्रसुविधाएं भी हैं, की दशा में धारा 35कघ के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए एक शर्त यह है कि ''विनिर्दिष्ट कारबार'' ने 'निर्धारिती या किसी सहबद्ध व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता के एक तिहाई से अन्यून को उपलब्ध कराया है'। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने किसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के लिए 'एक तिहाई' और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नेटवर्क के लिए 'एक चौथाई' सामान्य वाहक क्षमता की शर्त विनिर्दिष्ट की है। सामान्य वाहक क्षमता से संबंधित विद्यमान उपबंध को सुव्यवस्थित करने के लिए धारा 35कघ की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली कुल पाइपलाइन क्षमता का अनुपात वह होना चाहिए, जो उक्त विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

इस संशोधन को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10, 23]

स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों के अननुपालन के कारण व्यय को अनुज्ञात न करना

क. आय-कर अधिनियम की धारा 40 (क) (iक) के विद्यमान उपबंध ब्याज, कमीशन, दलाली, वृतिक फीसों आदि जैसे व्यय को तब अननुज्ञात करने के लिए उपबंध करते हैं, यदि ऐसे व्यय पर कर की कटौती नहीं की गई थी, या कटौती के पश्चात् कर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त नहीं किया गया था। तथापि, यदि कर की कटौती पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम मास के दौरान की जाती है तो कोई नामंजूरी नहीं की जाएगी यदि कर विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व कर जमा कर दिया जाता है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई नामंजूरी तब की जाएगी यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कर कटौती के पश्चात्, कर का संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आय की विवरणी की फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व किया गया है।

इस संशोधन को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

ख. अधिनियम की धारा 201 (1क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति के कर कटौती करने में या कटौती के पश्चात् कर का संदाय करने में विफल होने की दशा में वह प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी है।

कटौती करने के पश्चात् कर के निक्षेप में होने वाले विलंब के चलन को हतोत्साहित करने की दृष्टि से, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए वर्तमान में कटौती के पश्चात् कर के असंदाय के लिए ब्याज की दर को एक प्रतिशत से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 12, 42]

लेखाओं की संपरीक्षा और उपधारणात्मक कराधान के प्रयोजनार्थ आवर्त या सकल प्राप्तियों की सीमा

क. धारा 44कख के विद्यमान उपबंधों के अधीन कारबार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उसके लेखाओं को संपरीक्षित कराने की अपेक्षा की जाती है यदि उस कारबार में कुल विक्रय, आर्वत या सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष में चालीस लाख रुपए से अधिक हैं। इसी प्रकार, किसी वृत्ति को करने वाले व्यक्ति से उसके लेखाओं की संपरीक्षा कराने की अपेक्षा की जाती है, यदि उस वृति में सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष में दस लाख रुपए से अधिक हैं।

लघु कारबारों और वृतिकों के अनुपालन भार को कम करने के लिए, कारबार करने वाले व्यक्तियों की दशा में पूर्वोक्त अवसीमा को चालीस लाख रुपए से बढ़ाकर साठ लाख रुपए और वृत्ति करने वाले व्यक्तियों की दशा में दस लाख रुपए से बढ़ाकर पन्द्रह लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

ख. ऊपर प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखते हुए, विधेयक, धारा 44कख के अधीन लेखाओं को संपरीक्षित न कराने या ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट न दिए जाने के लिए धारा 271ख के अधीन उदगृहणीय अधिकतम शास्ति को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए करने का भी प्रस्ताव करता है।

ग. यह भी प्रस्ताव है कि धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कराधान के प्रयोजन के लिए कुल आर्वत या सकल प्राप्तियों की अवसीमा चालीस लाख रुपए से बढ़कर साठ लाख रुपए हो जाएगी।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तद्नुसार, ये निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 14, 15, 50]

खनिज तेल के पूर्वेक्षण के या निष्कर्षण अथवा उत्पादन के सम्बन्ध में सेवाएं या सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अनिवासी की आय का कराधान

आय-कर अधिनियम की धारा 44खख (1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबन्धों के अधीन ऐसे अनिवासी कर दाता की, जो खनिज तेल के पूर्वेक्षण के लिए या निष्कर्षण अथवा उत्पादन के सम्बन्ध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने या प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी को किराए पर देने के कारबार में लगा हुआ है, आय की संदत्त रकमों के योग, के दस प्रतिशत पर संगणना की जानी है।

धारा 44घक किसी अनिवासी की जिसके अंतर्गत कोई विदेशी कम्पनी भी है, तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय की, यदि ऐसी आय से उद्भूत करने वाले अधिकार, सम्पत्ति या संविदा उक्त अनिवासी के स्थायी स्थापन से संगणना करने के लिए प्रक्रिया विहित करता है, प्रभावी रूप से संबंधित है ।

धारा 115क किसी अनिवासी की, जिसके अन्तर्गत कोई विदेशी कम्पनी भी है, धारा 44घक में निर्दिष्ट आय से भिन्न अर्थात् ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए जो अनिवासी के स्थायी स्थापन के सम्बन्ध में नहीं हैं, स्वामिस्व और फीस के रूप में, तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय की बाबत कराधान की दर का उपबन्ध करती है।

धारा 44खख, धारा 44घक और धारा 115क के उपबन्धों का संयुक्त प्रभाव यह है कि यदि किसी अनिवासी की आय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में है, तो वह उस कारबार को ध्यान में रखे बिना, जिससे वह संबंधित है, धारा 44घक या धारा 115क के उपबन्धों के अधीन कराधेय होगी। धारा 44खख केवल ऐसे मामलों में लागू होती है, जहां प्रतिफल, खोज सम्बन्धी ऐसे क्रियाकलाप से संबंधित सेवाओं और अन्य सुविधाओं के लिए है, जो तकनीकी सेवाओं की प्रकृति की नहीं हैं। तथापि, न्यायिक निर्णयों के कारण धारा 44खख और धारा 44घक की परिधि के सम्बन्ध में यह संदेह उदभूत किया गया है कि क्या खोज सम्बन्धी सेक्टर से सम्बन्धित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस भी धारा 44खख के उपधारणात्मक कराधान उपबन्धों के अधीन आनी चाहिए या नहीं ।

शंकाओं को दूर करने और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय के कराधान की सुभिन्न स्कीम को स्पष्ट करने के लिए धारा 44खख के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 44खख के ऐसी आय को लागू होने को जो धारा 44घक के अधीन आती है, अपवर्जित किया जा सके। इसी प्रकार, यह उपबंध करने के लिए धारा 44घक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 44खख के उपबंध उस आय को लागू नहीं होंगे, जो धारा 44घक के अधीन आती है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तद्नुसार, ये निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 16 और खंड 17]

प्राइवेट कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) में संपरिवर्तन

वित्त (संख्यांक-2) अधिनियम, 2009 ने आय-कर अधिनियम में सीमित दायित्व भागीदारी के कराधान का उन्हीं आधारों पर उपबंध किया है जो भागीदारी फर्मों को लागू हैं। सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 56 और धारा 57 किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) का सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने को अनुज्ञात करती हैं । आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी के किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन करने का निश्चित कर विषयक विविक्षाएं हैं। संपरिवर्तन पर आस्तियों के अन्तरण पर पूंजी अभिलाभ कर का उदग्रहण लागू होता है। इसी प्रकार, हानियों का और अनामेलन अवक्षयण का अग्रनयन उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को उपलब्ध नहीं है।

यह प्रस्ताव है कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 56 और धारा 57 के अनुसार किसी कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन पर आस्तियों का अंतरण, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 45 के अधीन पूंजी अभिलाभ कर के प्रयोजनों के लिए एक अन्तरण के रूप में नहीं समझा जाएगा। ये शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) कंपनी के कारबार में कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से किसी भी वर्ष में छह लाख रुपए से अनधिक हैं;

(ii) कंपनी के शेयरधारक उसी अनुपात में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाते हैं जैसा उनकी शेयरधृति का अनुपात कंपनी में है;

(iii) सीमित दायित्व भागीदारी में लाभ और पूंजी अभिदाय में शेयर से भिन्न कोई प्रतिफल भागीदारों को उदभूत नहीं होता है;

(iv) कंपनी के तत्कालीन शेयरधारक संपरिवर्तन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के लाभों का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार बने रहते हैं;

(v) कंपनी की सभी आस्तियां और दायित्व सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां और दायित्व बन जाते हैं; और

(vi) संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के संचयित लाभ में से कोई रकम किसी भागीदार को प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से संदत्त की जाती है।

कारबार हानि और अनामेलित अवक्षयण के अग्रनयन और मुजरे को ऐसे उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को अनुज्ञात करने का भी प्रस्ताव है जो ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा करती है।

यह भी प्रस्ताव है कि यदि ऊपर उल्लिखित शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाता है तो कंपनी द्वारा उठाया गया फायदा उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे जो उस पूववर्ती वर्ष के लिए कर से प्रभार्य होंगे जिसमें अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव है कि पूर्ववर्ती कंपनी और उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी का अनुज्ञेय सकल अवक्षयण किसी पूर्ववर्ती वर्ष में विहित दरों पर संगणित अवक्षयण इस प्रकार अधिक नहीं होगा कि मानों संपरिवर्तन न किया गया हो।

यह और प्रस्ताव है कि उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में आस्तियों के ब्लाक की वास्तविक लागत आस्तियों के ब्लाक की अवलिखित लागत वही होगी जो संपरिवर्तन की तारीख को पूर्ववर्त्ती कंपनी की दशा में होती है।

यह भी उपबंध किया गया है कि उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के लिए पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत, वह लागत समझी जाएगी जिसके लिए पूर्ववर्ती कंपनी ने उसे अर्जित किया है।

धारा 115जख के अधीन किसी कंपनी द्वारा संदत्त कर की बाबत प्रत्यय, धारा 115जकक के अधीन केवल ऐसी कंपनी को अनुज्ञात किया जाता है। यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तद्नुसार, ये निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 8, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 29]

प्रतिफल के बिना या किसी अपर्याप्त प्रतिफल के लिए कतिपय संव्यवहारों का अन्य स्रोत के रूप में कराधान

धारा 56 (2) (vii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई धनराशि या वस्तु रूप में कोई संपत्ति, जो किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए (50,000 रुपए की विहित सीमा से अधिक) प्राप्त की जाती है, प्राप्तिकर्ता के पास अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य है। तथापि, नातेदारों से या विवाह के अवसर पर या किसी वसीयत के अधीन प्राप्तियां इस उपबंध की परिधि से बाहर हैं।

धारा 56 (2) (vii) के प्रयोजनों के लिए संपत्ति की विद्यमान परिभाषा के अंतर्गत ऐसी स्थावर संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, शेयर और प्रतिभूतियां, आभूषण, पुरात्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पेंटिंग, वास्तु शिल्प या कोई कलाकृति भी है।

क. ये दुरुपयोग विरोधी ऐसे उपबंध हैं जो इस समय केवल तभी लागू हैं, यदि प्राप्तिकर्ता कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है। इसलिए किसी कंपनी के शेयरों का किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किसी फर्म या कंपनी को प्रतिफल के बिना या उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर अंतरण, दुरुपयोग विरोधी उपबंध को आकर्षित नहीं करता है ।

असूचीबद्ध शेयरों का उनके उचित बाजार मूल्य से काफी कम कीमतों पर अंतरित करने की परिपाटी को रोकने के लिए धारा 56 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि ऐसी कंपनी के (जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है) शेयरों में अपर्याप्त प्रतिफल या प्रतिफल के बिना किए गए संव्यवहारों को भी जहां प्राप्तिकर्ता कोई फर्म या कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है) उसकी परिधि के भीतर सम्मिलित किया जा सके। धारा 2 (18) ऐसी कंपनी की परिभाषा का उपबंध करती है जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है।

यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे कारबार, पुनर्गठन समामेलन और निर्विलियन जो अधिनियम की धारा 49 के खंड (क), खंड (viख), खंड (viग), खंड (viघ)

और खंड (vii) के अधीन अंतरण नहीं माने जाते हैं, के लिए किए गए संव्यवहारों को अपवर्जित किया जा सके।

निम्नलिखित में पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित हैं :—

(i) धारा 2 (24) में, ऐसे शेयरों के मूल्य को आय की परिभाषा में सम्मिलित करना;

(ii) धारा 49 में यह उपबंध करना कि ऐसे शेयरों के अर्जन की लागत वह मूल्य होगा, जो धारा 56 (2) के उपबंधों के अधीन हिसाब में लिया गया है और कर के अधीन रहा है।

इन संशोधनों को 1 जून, 2010 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है और तद्नुसार, इन्हें निर्धारण वर्ष 2011-2012 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

ख. धारा 56 (2) (viii) के उपबंध संदानों की आड़ में अधीन विशेष रूप से दान कर अधिनियम की समाप्ति के पश्चात् अलेख बद्ध आय के शोधन को रोकने के लिए प्रति अपवंचन तंत्र के रूप में आरंभ किए गए थे। ये उपबंध वस्तु रूप में ऐसे संव्यवहारों को घेरे में लेने के लिए कर विस्तारित करने हेतु आशयित थे। इसका आशय ऐसे कारबार या व्यवसाय के, जिनके लाभ आय के विनिर्दिष्ट शीर्ष के अधीन कराधेय है, सामान्य प्रक्रम में किए गए संव्यवहारों पर कर लगाना नहीं है। अतः संपत्ति की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 56 (2) (vii) ऐसी "संपत्ति" को लागू होगी, जो प्राप्तिकर्ता की किसी पूंजी आस्ति की प्रकृति में है। इसलिए यह ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी कारबार के व्यापार, स्टाफ, कच्चे माल और उपभोज्य भंडार को लागू नहीं होगी।

ग. स्थावर संपत्ति संव्यवहारों के अनेक मामलों में संपत्ति की बुकिंग और रजिस्ट्रीकरण पर ऐसी संपत्ति की वास्तविक प्राप्ति के बीच समय-अंतर होता है जिसका परिणाम कराधेय अवकलन है। अतः धारा 56 (2) के खंड (vii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यह तभी लागू होगा जब स्थावर संपत्ति प्रतिफल के बिना प्राप्त की जाती है और स्थावर संपत्ति की बाबत अपर्याप्त प्रतिफल के मामले अंतर्वलित करने वाले संव्यवहारों से संबंधित अनुबंध को दूर किया जा सके।

इन संशोधनों को 1 अक्तूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2010-2011 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

घ. धारा 56 के अधीन यथा उपबंधित 'संपत्ति' की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 'बुलियन' से संबंधित संव्यवहारों को सम्मिलित किया जा सके ।

ड. धारा 142क (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि धारा 56 (2) के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के मूल्य के प्राक्कलन हेतु मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिनिर्देश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को अनुज्ञात किया जा सके ।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है।

[खंड 3, 20, 21, 33]

दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के संबंध में कटौती

अवसंरचना सेक्टर में निवेश के संवर्धन पर जोर देने की नीति के अनुसरण में, एक नई धारा 80गगच अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं) में 20,000 रुपए की सीमा तक किए गए अभिदाय को किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। यह कटौती अधिनियम की धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के अधीन 1 लाख रुपए तक की बचत पर कर कटौती की विद्यमान संपूर्ण सीमा से अतिरिक्त होगी।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह निर्धारण वर्ष 2011-12 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 24]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती

धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी स्वास्थ्य बीमा पालिसी के मद्दे स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बालकों के लिए अधिकतम 15,000 रुपए के प्रीमियम के संदाय के संबंध कटौती उपलब्ध है। आश्रित माता-पिता के संबंध में बीमा पालिसी क्रय करने के लिए 15,000 रुपए की और कटौती भी अनुज्ञात है। दोनों मामलों में कटौती की रकम को बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाता है, यदि बीमाकृत व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या अधिक है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) एक ऐसी चिकित्सीय प्रसुविधा है, जो सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उपलब्ध है। यह प्रसुविधा स्वास्थ्य बीमा पालिसियों को उपलब्ध प्रसुविधाओं के समान है।

अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे अभिदाय को धारा 80छ के उपबंधों के अधीन सम्मिलित करके सीजीएसएस को किए गए किसी अभिदाय के संबंध में भी कटौती अनुज्ञात की जाए। यह कटौती धारा में उल्लिखित वर्तमान योग तक सीमित होगी।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 25]

आवासन परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए कटौती

धारा 80-झख (10) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी उपक्रम द्वारा 31.3.2008 के पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासन परियोजनाओं के विकास और निर्माण से व्युतपन्न लाभों के संबंध में 100% कटौती अनुज्ञात है। यह फायदा, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उपलब्ध है :

(क) यह परियोजना उस वित्तीय वर्ष की जिसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परियोजना को अनुमोदित किया जाता है, समाप्ति के 4 वर्ष के भीतर पूरी करनी होगी।

(ख) आवासन परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र, आवासन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 2000 वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

वैश्विक मंदी और आवासन सेक्टर में पारिणामिक अवमंदी के कारण असाधारण परिस्थितियों का अनुज्ञात करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस धारा के अधीन कर फायदा प्राप्त करने के लिए अर्हित होने के लिए किसी आवासन परियोजना को पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि को, जो वर्तमान में उस वर्ष की, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवासन परियोजना अनुमोदित की जाती है, समाप्ति से 4 वर्ष है, बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाए। यह विस्तारण 1.4.2005 को या उसके पश्चात अनुमोदित आवासन परियोजनाओं को उपलब्ध होगा।

इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि निवासियों के लिए मूलभूत प्रसुविधाओं को समर्थ बनाने के लिए आवासन परियोजनाओं में दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों के निर्मित क्षेत्र के लिए विद्यमान सन्नियमों में अभिवृद्धि की जाए। यह प्रस्ताव किया जाता है कि आवासन परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों के निर्मित क्षेत्र को आवासन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र का तीन प्रतिशत या 5000 वर्ग फुट, इनमें जो भी अधिक हो, किया जाए। यह फायदा 1.4.2005 को या उसके पश्चात् अनुमोदित ऐसी परियोजनाओं को, जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती वर्षों से संबंधित आय के संबंध में उपलब्ध होगा।

इन संशोधनों को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, ये निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 27]

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रों में होटल या कन्वेंशन केन्द्र के लाभों की कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80-झघ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और फरीदाबाद, गुडगांव, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में किसी दो सितारा, तीन सितारा या चार सितारा प्रवर्ग के होटलों के कारबार से या उनमें अवस्थित किसी कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार से किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभों को पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कटौती का उपबंध करती है, परंतु यह कि ऐसे होटल ने 1.4.2007 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान कार्यकरण करना प्रारंभ कर दिया हो या ऐसे कन्वेंशन केन्द्र का सन्निर्माण उपरोक्त अवधि के दौरान हुआ हो।

अक्तूबर, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए स्थापित की जाने वाली इस प्रसुविधाओं के लिए और अधिक समय का उपबंध करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 80-झघ के खंड (i) और खंड (ii) का संशोधन किया जाए, जिससे कि उस तारीख को जिस तक होटल का कार्यकरण प्रारंभ करना है या कंन्वेंशन केन्द्र का सन्निर्माण पूरा किया जाना है, 31 मार्च, 2010 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2010 किया जा सके।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

धारा 115जख के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर

आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी से उसके बही लाभ पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, यदि 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अधिनियम के अधीन यथा परिकलिस कुल आय पर संदेय आय-कर ऐसे न्यूनतम कर से कम हो। धारा 115जख के अधीन संदत्त कर की ऐसी रकम को, जो उस वर्ष निर्धारण वर्ष, जिसमें कर प्रत्यय धारा 115जकक के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय हो जाती है, से ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण निर्धारण वर्ष तक संदेय कर के प्रति अग्रनीत और मुजरा किया जाना अनुज्ञात किया जाता है।

धारा 115जख की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को विद्यमान पन्द्रह प्रतिशत से बढ़ाकर अठारह प्रतिशत किया जा सके।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह निर्धारण वर्ष 2011-2012 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 30]

विवरणियों पर केन्द्रीकृत कार्यवाही

धारा 143(1ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार, धारा 143(1क) के अधीन विवरणियों पर केन्द्रीकृत कार्यवाही स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए विवरणी की ऐसी कार्यवाही के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकेगीं। ऐसी कोई अधिसूचना 31 मार्च, 2010 तक जारी की जा सकती है।

केन्द्रीकृत कार्यवाही केन्द्र को वहां गठित किया गया है जहां विवरणियों पर बैचों में कार्यवाही की जाती है। तथापि, कुछ और विवरणियों की कार्यवाही में आरंभ से अंत तक संपूर्ण कार्यवाही किए जाने के लिए कार्यात्मकता जोड़े जाने के की आवश्यकता है।

अतः यह प्रस्तावित है कि धारा 143(1ख) के अधीन ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए समय सीमा 31 मार्च, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2011 की जाए।

उन्हीं आधारों पर पारिणामिक संशोधन, आय-कर अधिनियम की धारा 115बड में किया जाना प्रस्तावित है।

इन संशोधनों को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 31, 34]

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम में यथा उपबंधित स्रोत पर कर कटौती की स्कीम के अधीन, किसी विनिर्दिष्ट राशि का किसी व्यक्ति को संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति से विहित दर पर स्रोत पर कर की कटौती करने और उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास जमा करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, ऐसी कोई कटौती किया जाना तब अपेक्षित नहीं है जब संदाय विहित अवसीमाओं से अनधिक नहीं है।

मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करने के लिए और कटौती कर्ताओं तथा कर दाताओं के अनुपालन भार को कम करने के लिए भी धारा 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194ज, 194झ और 194ञ में उल्लिखित संदायों के लिए अवसीमा को निम्नलिखित रूप में बढ़ाने का प्रस्ताव है :-

क्र.सं.	धारा	संदाय की प्रकृति	संदाय की विद्यमान अवसीमा (रुपए)	संदाय की प्रस्तावित अवसीमा (रुपए)
1	194ख	लाटरी या वर्ग पहेली से जीत	5000	10,000
2	194खख	घुड़दौड़ से जीत	2500	5000
3	194ग	संविदाकारों को संदाय	20,000 (एकल संव्यवहार के लिए) 50,000 वित्तीय वर्ष के दौरान (सकल संव्यवहारों के लिए)	30,000 (एकल संव्यवहार के लिए) 75,000 (वित्तीय वर्ष के दौरान (सकल संव्यवहारों के लिए)
4	194घ	बीमा कमीशन	5,000	20,000
5.	194ज	कमीशन या दलाली	2,500	5,000
6	194झ	किराया	1,20,000	1,80,000
7	194ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस	20,000	30,000

इन संशोधनों को 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]

स्रोत पर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस)

आय-कर अधिनियम की धारा 203(3) के विद्यमान उपबंध 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात उस व्यक्ति को, जिससे कटौती की गई है, कटौतीकर्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा से अभिमुक्त करते हैं। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 206ग(5) के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को, कर संग्रहण प्रमाणपत्र जारी किया जाना भी अपेक्षित नहीं होगा जिससे 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् कर संगृहीत किया गया है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि स्रोत कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण प्रमाणपत्र उस व्यक्ति जिसकी कर कटौती की गई है/जिससे कर संग्रहण किया गया है, के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह प्रस्ताव है कि कटौतीकर्ता/संग्राहक 1 अप्रैल, 2010 के पश्चात् तभी उस व्यक्ति को जिससे कटौती की गई है/जिससे कर संग्रहण किया गया है, स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण प्रमाणपत्र देना जारी रखेंगे।

इन संशोधनों को भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 43, 44]

समझौता आयोग

समझौता आयोग के समक्ष किसी आवेदन को फाइल करने की शर्तें और समझौता आयोग द्वारा किसी आवेदन के निपटारे के लिए कार्यवाहियों को अपवर्जित निर्धारण की कार्यवाहियों की सूची से हटाकर समझौता आयोग द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। समय को परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परिवर्तन निम्नानुसार हैं :-

क. धारा 245क(ख) के उपबंधों के अधीन, "मामला" पद को, जिसके संबंध में कोई आवेदन किया जा सकता है, किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस तारीख को जिसको समझौता आयोग में आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो। तथापि, अन्य बातों के साथ इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियों को अवर्जित करते हैं।

यह अब प्रस्तावित है कि तलाशी के परिणामस्वरूप या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्ही आस्तियों की अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियों को "मामले" की परिभाषा के भीतर सम्मिलित किया जाए जिसे समझौता आयोग द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, यह भी प्रस्तावित है कि, उस व्यक्ति के मामले में जिसकी आय निर्धारित की जा रही है या तलाशी के परिणामस्वरूप या लेखा आस्तियों के परिणाम स्वरुप पुनः निर्धारित की जा रही है, वह तारीख जिसकों निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ या समाप्त हुई समझी जाएगीं, को विनिर्दिष्ट करने के लिए धारा 245क(ख) से संबंधित स्पष्टीकरण का संशोधन किया जाए।

इसी प्रकार पारिणामिक संशोधन, धन-कर अधिनियम की धारा 22क में भी किए जाने प्रस्तावित हैं।

इन संशोधनों को 1 जून, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

ख. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर तीन लाख रुपए से अधिक होता है तो आवेदन को समझौता आयोग के समक्ष फाइल किया जा सकता है।

यह प्रस्तावित है कि धारा 245ग से संबंधित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उन मामलों में जहां तलाशी के परिणामस्वरूप या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ की गई है, यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से अधिक है वहां समझौता आयोग के समक्ष आवेदन फाइल किया जा सकता है। यह और प्रस्तावित है कि अन्य मामलों में, यदि आवेदन में प्रकटित आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है तो आवेदन समझौता आयोग के समक्ष किया जा सकेगा।

इन संशोधनों को 1 जून, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

ग. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ(4क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, समझौता आयोग उस मास की समाप्ति, जिसमें आवेदन किया गया था, से बारह मास के भीतर आदेश पारित करेगा।

यह प्रस्तावित है कि उपधारा (4क) के खंड (ii) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, 1 जून, 2007 को या इसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2010 के पहले फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में बारह मास की उक्त अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।

यह और प्रस्तावित है कि उपधारा (4क) में एक नए खंड (iii) को अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, 1 जून, 2010 को या इसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन के संबंध में उस मास की समाप्ति से, जिसका आवेदन किया जाता है, अठारह मास के भीतर आदेश पारित करेगा।

उन्हीं आधारों पर पारिणामिक संशोधनों को धन-कर अधिनियम की धारा 22घ में किया जाना प्रस्तावित है।

इन संशोधनों को 1 जून, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 45, 46, 47, 53, 54]

उच्च न्यायालय को अपील को फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी देने की शक्ति

क. धारा 260क(2) के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि आय-कर अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध निर्धारिती या आयुक्त द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की जा सकती है। आय-कर अधिनियम की धारा 260क की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जहां तक हो सके उच्च न्यायालय के समक्ष इस धारा के अधीन फाइल की गई किसी अपील के मामलों में लागू होंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 260क के उपबंधों का निर्वचन करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय के पास किसी अपील को फाइल करने में विलंब के लिए माफी देने की शक्ति है। तथापि, इलाहाबाद बम्बई, कोलकाता, गुवाहाटी और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों ने अन्यथा अभिनिर्धारित किया है।

अतः आय-कर अधिनियम की धारा 260क में उपधारा (2क) भूतलक्षी रुप से अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि उच्च न्यायालय एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

पारिणामिक संशोधनों को उन्हीं आधारों पर धन-कर अधिनियम की धारा 27क में किया जाना प्रस्तावित है।

इन संशोधनों को भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 1998 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

ख. आय-कर अधिनियम की धारा 256 के अधीन आय-कर अपील अधिकरण उच्च न्यायालय को मामला निर्दिष्ट कर सकता था। उन मामलों में जहां आय-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय को मामला निर्दिष्ट करने से इंकार करता था, वहां निर्धारिती या आयुक्त को अनुज्ञात किया गया था कि वह अधिकरण के ऐसे इंकार के विरुद्ध उस तारीख से जिसकों इंकार का आदेश तामील किया गया था, छह मास की अवधि के भीतर अधिकरण के ऐसे इंकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करे।

भूतलक्षी प्रभाव से उपधारा (2क) अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि उच्च न्यायालय, छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आवेदन ग्रहण कर सके, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि के भीतर उसे फाइल नहीं किए जाने के लिए हेतुक था।

पारिणामिक संशोधन उन्हीं आधारों पर धन-कर अधिनियम की धारा 27 में भी किए जाने प्रस्तावित हैं।

इन संशोधनों को भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1981 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 48, 49, 55, 56]

दस्तावेज पहचान संख्यांक

धारा 282ख (दस्तावेज पहचान संख्यांक का आबंटन) एक नयी धारा है जो वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1 अक्तूबर, 2010 से आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित की गई है।

इस धारा के उपबंधों के अधीन, आय-कर अपील प्राधिकारी, किसी अन्य आय-कर अपील प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्येक सूचना आदेश, पत्र या पत्र व्यवहार जारी करने से पूर्व कम्प्यूटर जनित्र दस्तावेज पहचान संख्यांक आबंटित करने के लिए अपेक्षित है और ऐसी संख्या उस पर कोट की जाएगी इसमें यह भी उपबंध करता है कि आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की ओर से प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज, पत्र, पत्राचार, कम्प्यूटर जनित्र दस्तावेज पहचान संख्यांक के आबंटन और कोट करने के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा।

पैन इण्डिया आधार पर धारा 282ख में उल्लिखित सेवाओं के संपूर्ण विस्तार को पूरा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि स्थान में अपेक्षित अवसंरचना और सुविधाएं हों।

यह प्रस्तावित है कि धारा 282ख के उपबंधों का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंधित किया जा सके कि दस्तावेज पहचान संख्यांक 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात जारी किए जाने के लिए अपेक्षित हो।

इस संशोधन को 1 अक्तूबर, 2010 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 51]

गैर-जीवन बीमा कारबार की आय का कराधान

आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के साथ पठित धारा 44 बीमा कंपनियों की आय के परिकलन की स्कीम का उपबंध करती है तदनुसार, उक्त अनुसूची या नियम 5 और गैर-जीवन बीमा कारबार की आय कतिपय समायोजनों के अधीन रहते हुए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार तैयार किए गए कंपनी के लाभ-हानि लेखा के अनुसार कर और विनियोजन से पूर्व लाभ के रूप में की जाती है।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 में यह उपबंध करने के लिए पहली अनुसूची का संशोधन किया गया है कि गैर-जीवन बीमा कारबार की दशा में, लेखाओं में प्रत्यय के लिए किए गए निवेशों की वसूली के संबंध में अधिमूल्यन या अभिलाभों को आय के रूप में माना जाएगा और कुल आय के परिकलन में सम्मिलित किया जाएगा।

निवेशों के मूल्य में अधिमूल्यन, जो वसूल न किए गए अभिलाभ की प्रकृति का है, और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियमों के अनुसार लाभ या हानि का अवधारण करने के लिए गणना में नहीं लिया जाता है। अतः, यह प्रस्ताव है कि निवेशों के मूल्य में अधिमूल्यन के कारण वसूल न किए गए अभिलाभ कुल आय में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार, निवेशों के मूल्य में कमी के कारण हानियों के उपबंध के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह भी उपबंध किया गया है कि निवेशों की वसूली के संबंध में कोई अभिलाभ या हानि कुल आय के परिकलन के प्रयोजनार्थ जोड़ी नहीं जाएगी या घटाई नहीं जाएगी, यदि उसे लाभ और हानि लेखा में पहले जमा कर दिया जाता है या विकलित कर दिया जाता है।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 52]